कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त मालवीय नगर जि–जयपुर पूर्व

क्रमांकः–ई–मेल / दिनांकः– 30.10.2020

श्रीमान पुलिस उपायुक्त्
जयपुर (पूर्व)।

विषय :–जॉच रिपोर्ट सी.एम. हैल्प लाईन नम्बर 181 पर प्राप्त परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार के सम्बन्ध मे।
प्रसंगः–श्रीमान के कार्यालय सम्पर्क पोर्टल नम्बर 10200678832248 दिनांक 26.10.2020 की पालना में।

महोदय्,

उपरोक्त विषयान्र्तगत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार का एक परिवाद सी.एम. हैल्प लाईन नम्बर 181 पर जॉच हेतु प्राप्त हुआ। उक्त परिवाद की जॉच थानाधिकारी मालवीय नगर जयपुर पूर्व द्वारा कराई जाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई कि परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार का परिवाद वास्ते जांच हेतु थाना हाजा पर इस आशय का प्राप्त हुआ कि दिनांक 02/10/2020 को प्रमुख समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका जयपुर संस्करण में प्रकाशित खबर शीर्षक आरएएस का बेटा दोस्तो के साथ कर रहा था लूट के संबध में थाना हाजा पर मुकदमा नं 259/2020 धारा 392 आईपीसी का दर्ज है जिसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है' संक्षिप्त हालात मुकदमा हाजा इस प्रकार से निवेदन है कि दिनांक 25.09.2020 को एक लिखित रिपोर्ट बखत हिन्दी श्रीमति शिखा जैन पत्नी श्री अशोक जैन जाति जैन उम्र 51 वर्ष निवासी प्लॉट नम्बर 267 बी-1 विनोबा विहार मॉडल टाउन मालवीय नगर पीएस मालवीय नगर जयपुर ने उपस्थित थाना होकर पेश की मैं दीपल जैन नन्दपुरी चौराहे के पास से जा रही थी। इन तीन लोगों ने मुझे पता पुछने के बहाने से रोका। फिर मुझे धक्का दिया। मेरा मोबाईल फोन छीन कर भागने लगे। मेरे पेट पर मारा आैर मुझे नीचे गिरा दिया तब मैनें इनको रोकने की कोशिश की तो इन्होनें मुझे मारा, गिरा दिया मेरा होठ कट गया आैर मुझे अपनी गाडी के साथ ही गिरा दिया जिससे मेरे पैर में भी चोट लगी। फिर तीनो ने मिलकर लात घुसों से मुझे मारा। पर मैनें बडी मुश्किल से तीन में से एक को पकड लिया लेकिन बाकी दो मेरा मोबाईल लेकर भाग गये । आैर अपनी बाईक भी छोड गये। आप से विनम्र निवेदन है कि मेरी F I R दर्ज करके एक कॉपी मुझे देने की कृपा करें आैर Strongly Action ले। आदि रिपोर्ट पर मुकदमा नम्बर 259/2020 धारा 356,379 आईपीसी में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान प्रकरण हाजा में पीडिता दीपल जैन व श्रीमती शिखा जैन व गवाह श्री भरतलाल मीणा , झम्मन लाल हैड कानि० 1776 व मुकेश कुमार कानि० 10270 के बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआरपीसी में लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये गये। पीडिता दीपल जैन के घटना के दौरान आई चोटो का मेडिकल मुआयना करवाय़ा जाकर आई/आर रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। घटना स्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्सा मौका कसीद किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तथा घटना के समय मौके पर पकडे गये आरोपी तन्मय शर्मा उर्फ तन्नू पुत्र श्री बलदेव प्रसाद शर्मा जाति ब्राहाम्ण उम्र 21 साल निवासी गांव देवपुरा थाना शाहपुरा तहसील शाहपुरा जयपुर हाल सी-121,122 शिक्षा विहार जगतपुरा थाना रामनगरिया जयपुर से पूछताछ कर पूछताछ नोट मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रकरण में की गई तफ्तीश एवं पूछताछ मुल्जिम से तन्मय शर्मा के खिलाफ अपराध धारा 392 आईपीसी का जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर मुल्जिम तन्मय शर्मा को बाद तफ्तीश प्रकरण हाजा में गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी मुर्तिब की गई तथा प्रकरण हाजा की वारदात में प्रयोग में ली गई मोटरसाईकिल बुलेट नम्बर RJ14-DZ-6094 को मुल्जिम तन्मय शर्मा के कब्जे से बतौर वजह सबूत प्रकरण हाजा में जब्त की गई एंव

मुल्जिम की इत्तला से घटना स्थल की तस्दीक की जाकर नक्सा निशादेही मुर्तिब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। दौराने अनुसंधान प्रकरण हाजा में जब्त शुदा मोटसाईकिल बुलट नम्बर RJ14-DZ-6094 के संबंध में वाहन मालिक श्री छोटूलाल चौधरी पुत्र श्री परभाती लाल निवासी 3 महादेव नगर रामनगरिया रोड जगतपुरा जयपुर को धारा 133 एम वी एक्ट नोटिस दिया जाकर वाहन के संबंध में जवाब प्राप्त किया गया तो अपने जवाब में बताया कि उक्त मोटरसाईकिल मुल्जिम तन्मय शर्मा के पास ही होना बताया। नोटिस को बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। मुल्जिम का नियमानुसार स्वास्थ्य परीक्षण व कोविड-19 की जांच करवाई जाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुल्जिम को बाद तफ्तीश न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया जाकर मुल्जिम तन्मय शर्मा उर्फ तन्नू से प्रकरण हाजा में लूटे गये मोबाईल व वारदात में अन्य आरोपी साथियों के बारे में तफ्तीश की गई तो मुल्जिम ने प्रकरण हाजा में छीना गया मोबाईल अपने साथियों को दे देना बताया। शेष आरोपियान की इलाका थाना व जयपुर शहर में तलाश की गई। मुखबिर खास इत्तला पर प्रकरण हाजा में आरोपी कैलाश परैवा पुत्र श्री गोविन्द नारायण परैवा जाति खटीक उम्र 22 साल निवासी प्लाट नम्बर 43 रामनगर थाना रामनगरिया जगतपुरा जयपुर व मनोज कुमार वर्मा उर्फ भूरिया पुत्र श्री छीतरमल वर्मा जाति बलाई उम्र 20 साल निवासी प्लाट नम्बर 05 एस के आई टी कॉलेज के पिछे रामनगरिया जगतपुरा जयपुर से प्रकरण हाजा में तफ्तीश की जाकर बाद तफ्तीश दोनो आरोपियों को प्रकरण हाजा में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। दोनों मुल्जिमों की 27 भारतीय साक्ष्य्र अधि० इत्तला पर घटना स्थल का तस्दीक नक्सा मौका करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। मुल्जिम मनोज कुमार वर्मा उर्फ भूरिया की 27 भारतीय साक्ष्य अधि० की इत्तला पर प्रकरण हाजा का माल मशरुका मोबाईल Red mi मुल्जिम मनोज वर्मा के प्लाट नम्बर 05 रामनगर एसकेआईटी कॉलेज के पिछे थाना रामनगरिया से जब्त किया गया। एवं बरामदगी स्थल का नक्सा मौका कसीद किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। बाद तफ्तीश मुल्जिम कैलाश परैवा पुत्र श्री गोविन्द नारायण परैवा जाति खटीक उम्र 22 साल निवासी प्लाट नम्बर 43 रामनगर थाना रामनगरिया जगतपुरा जयपुर व मनोज कुमार वर्मा उर्फ भूरिया पुत्र श्री छीतरमल वर्मा जाति बलाई उम्र 20 साल निवासी प्लाट नम्बर 05 एस के आई टी कॉलेज के पिछे रामनगरिया जगतपुरा जयपुर को पेश न्यायालय किया गया जो मुताबिक आदेश श्रीमान् न्यायालय के न्यायिक अभिरक्षा में दाखिला करवाया गया। प्रकरण हाजा में अब तक किये गये अनुसंधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से मुल्जिम 1.तन्मय शर्मा उर्फ तन्नू पुत्र श्री बलदेव प्रसाद शर्मा जाति ब्राहाम्ण उम्र 21 साल निवासी गांव देवपुरा थाना शाहपुरा तहसील शाहपुरा जयपुर हाल सी-121,122 शिक्षा विहार जगतपुरा थाना रामनगरिया जयपुर, 2. कैलाश परैवा पुत्र श्री गोविन्द नारायण परैवा जाति खटीक उम्र 22 साल निवासी प्लाट नम्बर 43 रामनगर थाना रामनगरिया जगतपुरा जयपुर व 3. मनोज कुमार वर्मा उर्फ भूरिया पुत्र श्री छीतरमल वर्मा जाति बलाई उम्र 20 साल निवासी प्लाट नम्बर 05 एस के आई टी कॉलेज के पिछे रामनगरिया जगतपुरा जयपुर के खिलाफ अपराध धारा 392 आईपीसी वखूवी प्रमाणित है।

रिपोर्ट श्रीमान की सेवामे ंसादर प्रेषित हैं।

सहायक पुलिस आयुक्त,
मालवीय नगर, जयपुर (पूर्व)